सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 140/18 **निर्णय दिनांकः— 10.07.2019**

1. इन्द्रकंवर बेवा जालमसिंह जाति राजपूत निवासी पंवारवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. पवनसिंह पुत्र जयनारायण सिंह जाति यादव निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।
3. विक्रम सिंह पुत्र जयनारायण सिंह जाति यादव निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20—11—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 20—11—2017 जिसके द्वारा अपीलांट् को टीसी में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष 1980 में ग्राम पंवारवाला के खेत खसरा नम्बर 43 में 18 बीघा

बारानी भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन वर्ष 2001 तक नवीनीकृत किया जाता रहा है। दौराने चकबन्दी नवीनीकरण बन्द होने पर अपीलांट द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आज दिनांक तक जैरकार है। उक्त आवेदन पत्र जैरकार रहते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंवारवाला के खेत खसरा नम्बर 43 में 18 बीघा बारानी भूमि का वर्ष 1980 में अपीलांट को बतौर बारानी आवंटन किया गया था। अपीलांट के नाम से वादग्रस्त भूमि की पानी की बारी भी बनी हुई है तथा निरन्तर आराजी जैर पर काबिज काश्तकार है तथा उक्त टीसी में आवंटित भूमि का वर्ष 2001 तक नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी में आने पर चक 4 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 1/18 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 10 में 9 बीघा तथा किला नम्बर 11 ता 13 में 3 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 1/10 के किला नम्बर 4 जा 9 में 6 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कुल 18 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। जिस पर अपीलांट आज दिनांक तक काबिज है। चूंकि चकबन्दी के पश्चात् टीसी आवंटन का नवीनीकरण बन्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने टीसी आवंटन को पुख्ता किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है। जिसे अनदेशा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट के धारण की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट को आवंटित व आक्यूपाईड लैण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बाले–बाले रूप से पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बातया कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में आवंटित की गई थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार के आदेशों की भी अवहेलना की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब भूमि एक बार आवंटित व नियमित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का किसी भी स्थिति में अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन अधिकारी द्वारा कानून व न्याय को ताक पर रखकर बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है। आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित है कि कोई भी आवंटन बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा कोई आवंटन किया भी जाता है तो उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में माना जाता है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण डबल आवंटन का मानते हुए यह अभिलिखित किया जाकर कि दुबारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र खानापूर्ति करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 250, आरआरडी 1993 पेज 596, आरआरडी 2017 पेज 182, आरआरडी 2006 पेज 520, आरआरडी 2000 पेज 202 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। उक्त भूमि अपीलांट को कभी भी आवंटित नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि राजस्व

रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने व आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि ग्राम पंवारवाला के खसरा नम्बर 43 की 18 बीघा भूमि वर्ष 1980 में बतौर टीसी आवंटित हुई थी। जो चकबन्दी होने पर चक 4 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 1/18 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 10 में 9 बीघा तथा किला नम्बर 11 ता 13 में 3 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 1/10 के किला नम्बर 4 ता 9 में 6 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कुल 18 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावोजी साक्ष्य यथा सूची नम्बर चार प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे साबित होता हो कि उक्त भूमि उसे आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट उक्त भूमि पर अपने अधिकार साबित नहीं कर सकता है। वस्तुस्थिति यह है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार व लेना–देना नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–11–2017 के विरूद्व अपील दिनांक 28–03–2018 को पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई व मियांद बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में आवंटन सलाहकार समिति की राय से भूमि का आवंटन किया गया था परन्तु उक्त भूमि अन्य व्यक्ति की खातेदारी भूमि होने के कारण उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 13–06–2014 को स्वीकार की जाकर सबूत व सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम जॉच के उपरान्त चक 4 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 1/10 के किला नम्बर 1, 2, 4 ता 10 में 9 बीघा, किला नम्बर

11 में 0.15 बीघा, किला नम्बर 12 में 0.05 बीघा, किला नम्बर 13 में 0. 05 बीघा, किला नम्बर 15 में 0.05 बीघा कुल 10.10 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 11 में 0.05 बीघा, किला नम्बर 12 में 0.15 बीघा, किला नम्बर 13 में 0.15 बीघा, किला नम्बर 14 में 1 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 1/18 में किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 10 में 9 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 6, 11 ता 13 में 4 बीघा अनकमाण्ड कुल 13 बीघा इस प्रकार 19 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड एवं 7.10 बीघा अनकमाण्ड कुल 27 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है व आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटन की तमाम प्रकियाऍं पूर्ण हो चुकी है। जहॉ तक अपीलांट की आपत्ति की आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति की राय प्राप्त नहीं की गई है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में आवंटन सलाहकार समिति की राय प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटन किया गया था। तत्सयम रेस्पोडेन्ट की पात्रता व अन्य सबूतों की जॉच के उपरान्त ही रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया था। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती आवंटन के समय पुनः आवंटन सलाहकार समिति की राय की आवश्यकता नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवंटन न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर से प्राप्त आदेशों के अनुसरण में विधि सम्मत तरीके से किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई व गुणावगुण पर खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—11—2017 के विरूद्व अपील दिनांक 28—03—2018 को पेश की गई है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में अपीलांट पक्षकार नहीं थी। ऐसी स्थिति में समय पर आदेश की जानकारी संभव नहीं थी। अपील प्रस्तुत करने में 136 दिन के विलम्ब के बारे में अपीलांट द्वारा बताये गये कारण संतोषजनक होने के कारण अपील मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी की दरखावश्त पेश की जाकर विवादित भूमि की टीसी आवंटी होने तथा नियमन का प्रकरण विचाराधीन होने के आधार पर अपीलांट अपने आपको प्रभाविक पक्ष बता रही हैं परन्तु अपील के साथ एवं बहस के दौरान एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया जो कि विवादित भूमि से अपीलांट का कोई हित जाहिर करता हो। अपीलांट ने विवादित भूमि सन् 1980 में टीसी आवंटन होने, निरन्तर कब्जा काश्त होने, दिनांक 05—07—2001 को नोटिस जारी होने, पुराने खसरों से चकबन्दी के बाद नये मुरब्बा नम्बर डाले जाने आदि कथनों का उल्लेख अपील मीमों में किया है, परन्तु साबित नहीं कर पाई कि उक्त कथनों का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की जानकारी किस माध्यम से हुई। अपीलांट स्वयं स्वीकार कर रही है कि अपील में वर्णित दस्तावेज उसके कब्जे में नहीं है। इस प्रकार अपीलांट अपने आपको विवादित आदेश से प्रभावित पक्ष के रूप में स्थापित नहीं की पाई है।

अपीलांट ने अपील मीमों तथा बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से विवादित भूमि पर अपना हित होना प्रमाणित करने का प्रयास किया है, परन्तु मूल व समर्थित दस्तावेजों के अभाव में अपीलांट के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने वांछित दस्तावेज प्राप्त करने का भार न्यायालय पर डालने का प्रयाय किया है, परन्तु अपील में उल्लेखित कथनों को साबित करने का भार केवल अपीलांट का है। न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की है परन्तु अपीलांट द्वारा उल्लेखित तथा उसके पक्ष को मजबूत करने वाले कथित अन्य सबूत जुटाने का भार न्यायालय का नहीं है। अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादग्रस्त भूमि पर अपना हक साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

8. अतः अपीलांट की अपील सबूतों के अभाव में तथा लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—11—2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर